



सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 07.10.2024

अपराध नियंत्रण दिशा में कार्य करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोटरसाइकिल (चोरी की) तथा 01 तमंचा व 04 जिंदा कारतूस 315 बोर किये गये बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना कोतवाली** पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना / गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं लूट/चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 06/07.10.24 की रात्रि को थाना कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी । इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि भदावर कॉलोनी से आगे बाइस ख्वाजा रोड पर 02 व्यक्ति अवैध असलहा व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ खडे है । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा **02 व्यक्तियों को चोरी की मोटरसाइकिल तथा 01 तमंचा व 04 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित टीटी तिराहे की ओर बाइस ख्वाजा रोड के पास से समय 02.45 बजे रात्रि गिरफ्तार किया गया ।**

पुलिस पूछताछ

पकडे गये व्यक्तियों से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 04 जिंदा कारतूस बरामद किये गये । पुलिस टीम द्वारा बरामद बजाज प्लैटिना मोटरसाइकिल के संबंध में कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि उक्त चोरी की मोटरसाइकिल को 02 साल पहले सस्ते दाम पर खरीदा था । (उक्त मोटरसाइकिल चोरी की घटना के से संबंध में थाना नौबस्ता जनपद कानपुर नगर पर मु0अ0सं0 844/2015 पंजीकृत है) । बरामद तमंचा व कारतूस के संबंध में बताया कि उक्त तमंचा लोगो को डराने धमकाने के उद्देश्य से पास रखते है ।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 247/24 धारा 317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. हरिओम राजपूत पुत्र मलखान सिंह राजपूत निवासी रऊपुर अटसू थाना अजीतमल जनपद औरैया उम्र 25 वर्ष ।
2. धर्मेन्द्र राजपूत पुत्र रामबाबू राजपूत निवासी शीतलपुर थाना सिविल लाइन जनपद इटावा उम्र 20 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 247/24 धारा 317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा ।

बरामदगी-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर ।
2. 04 जिंदा कारतूस 315 बोर ।
3. 01 बजाज प्लैटिना मोटरसाइकिल चोरी की (मु0अ0सं0 844/2015 थाना नौबस्ता जनपद कानपुर नगर से संबंधित)

पुलिस टीम:- निरी0 श्री विक्रम सिंह चौहान प्रभारी थाना कोतवाली, उ0नि0 संजय कुमार, उ0नि0 सौरभ सिंह, हे0का0 भगवान सिंह, हे0का0 जुम्नन खां, का0 अमरेन्द्र कुमार, का0 रामशंकर लोधी ।